न्यायालय जिला कलक्टर , फलौदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 01 / 2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
राजेन्द्र पुरी पुत्र मंगल पुरी , जाति गोस्वामी, निवासी लोहावट जाटाबास, तहसील लोहावट जिला जोधपुर वर्तमान फलौदी		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लोहावट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बविरूद्व आदेश दिनांक 07.07.2023 को श्रीमान तहसीलदार लोहावट द्वारा मुकदमा नंबर 57 / 2023 बअनवान सरकार बनाम राजेन्द्र पुरी में पारित किया गया।

उपस्थित वकील —:

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी।

रेस्पोडेण्ट्स की ओर सेः— तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—28/8/2024

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत धारा 91 में दर्ज तहसीलदार लोहावट के प्रार्थना पत्र संख्या 57 / 2023 निर्णय दिनांक 07.07.2023 के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की है।

2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि राजेन्द्र पुरी पुत्र मंगलपुरी जाति गोस्वामी निवासी लोहावट जाटाबास, लोहावट तहसील लोहावट, जिला फलौदी के द्वारा ग्राम लोहावट जाटाबास के खसरा नंबर 433 एवं 434 किस्म गैर मुमकीन के रकबा 0.32 बीघा भू—भाग पर अतिक्रमण कर दुकाने बनाने बाबत रिपोर्ट पटवारी हल्का लोहावट जाटाबास द्वारा तहसीलदार लोहावट को प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का लोहावट जाटाबास की रिपोर्ट के मुताबिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया और अपीलांट के विरूद्व नोटिस जारी किया जाकर आगामी तारीख 07.07.2023 पेशी मुकर्रर की गई और दिनांक 07.07.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांट ने अपील की मियाद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

जिला कलक्टर फलौदी

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर

किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार लोहावट से मूल रेकर्ड तलब किया गया । जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के नाम से जारी नोटिस की जानकारी अपीलांट को कभी भी नहीं हुई है। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय के तामिल कुनिन्दा द्वारा अपीलांट को न तो नोटिस दिया गया और न ही नोटिस की किसी प्रकार की कोई जानकारी दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त गैर तामील नोटिस के आधार पर उक्त आलौच्य आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये उसकी गैर मौजूदगी में पारित कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका जांच किये, बिना पैमाईश किये अपीलांट के विरूद्व 91 का प्रकरण दर्ज कराया है जबकि अपीलांट का जहां पर कब्जा है, वह भूमि लोहावट जाटावास की न होकर लोहावट विश्नावास की आबादी भूमि है। जिसका पटटा अपीलांट के नाम से ग्राम पंचायत विश्नावास द्वारा जारी किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों की जांच एवं अपीलांट विधिवत सुनवाई एवं सुने बिना पारित निर्णय दिनांक 07.07.2023 निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावें।

5. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार लोहावट से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में पटवारी हल्का लोहावट जाटावास एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा ग्राम लोहावट जाटावास के खसरा नंबर 433 व 434 किस्म गैर मुमकीन में 0.32 बीघा राजकीय भूमि पर दुकाने बनाकर अतिक्रमण करना पाया गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार लोहावट द्वारा अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस को अपीलांट द्वारा लेने से इंकार किया जाना बताया गया है। जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में उपलब्ध है। अपीलांट द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवादित भूमि ग्राम लोहावट विश्नावास की आबादी भूमि है जिसका पटटा अपीलांट के नाम से ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास द्वारा जारी किया हुआ है, जिस पर अपीलांट ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपनी दुकान का निर्माण करवाया। अपीलांट द्वारा इस संबन्ध में न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है और ना ही विश्नावास लोहावट ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की प्रति प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी की प्रति के अवलोकन से प्रकट होता है कि खसरा नंबर 433 व 434 की भूमि गांव लोहावट विश्नावास की सीमा पर स्थित नहीं है। अपीलांट द्वारा लोहावट विश्नावास की जमाबंदी व नक्शे की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

जिला कलक्टर
जोधपुर

जिससे यह प्रकट हो सके कि विवादित भूमि दोनों गांव की सीमा पर है और दोनो गांव में सीमाओं का विवाद या Over lapping की स्थिति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2023 की पालना में बेदखली की कार्यवाही किया जाना मौका फर्द से प्रकट होता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार व स्थिति नहीं है।

अतः अपील खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड शीघ्र लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/8/2024 सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलौदी

जिला कलक्टर फलौदी